**राजस्थान सरकार**
**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

क्रमांकः राम/स्टे.स्टोर/प–4/2013–14/ दिनांक :– /12/2025

## –: कोटेशन आमंत्रण सूचना :–

राजस्व मण्डल कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/ कार्मिकों के उपयोग हेतु प्लानर/ आर्गेनाईजर, एक्ज्यूकेटिव डायरी एवं साधारण डायरी उपापन हेतु निम्नानुसार सामग्री का प्रकार एवं शर्तो (राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013) अधीन मुहरबन्द कोटेशन दिनांक 22/12/2025 प्रातः 11:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है :–

### –: सामग्री का विवरण :–

| क्रं. सं. | उपापन सामग्री | संभावित मात्रा | न्यूनतम विनिर्देश |
|---|---|---|---|
| 01. | प्लानर/आर्गेनाईजर वर्ष 2026 | 35 | Cover : Leatherette with Magnet Flap |
| | | | Size : 7 x 9 inch |
| | | | GSM : 80 GSM |
| | | | Office Name and logo Embodied |
| 02. | एक्ज्यूकेटिव डायरी वर्ष 2026 | 110 | Cover : Leatherette |
| | | | Size : 7.5x 9.6 inch |
| | | | GSM : 70 GSM |
| | | | Office Name and logo Embodied |
| 03. | साधारण डायरी वर्ष 2026 | 270 | Cover : Leatherette |
| | | | Size : 5.5x8.5 inch |
| | | | GSM : 70 GSM |
| | | | Office Name and logo Embodied |

### –: नियम एवं शर्तें :–

1. सामग्री को मण्डल कार्यालय अजमेर में आपूर्ति आदेश से सात दिवस में सुपुर्द करना होगा।
2. उपापन संस्था Parallel Quotation करने के लिए स्वतंत्र रहेगी एवं सफल बोलीदाता का निर्धारण प्रत्येक विषय वस्तु की गुणवता एवं दरों के आधार पर किया जायेगा।
3. फर्म को <u>जीएसटी प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड</u> की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, यदि जीएसटी प्रमाण पत्र नही हो तो इस सबंधं में स्वघोषणा देना अनिवार्य होगा।
4. बोलीदाता को एक यूनिट की दरें समस्त करों एवं अन्य व्यय सहित प्रस्तुत करनी होगी।
5. फर्म द्वारा विषय वस्तु के नमूनें उपरोक्त न्यूनतम विनिर्देश अनुसार प्रस्तुत करने होगें नमूने के अभाव अथवा वाछिंत न्यूनतम विनिर्देश के अनुरूप सामग्री नहीं होने की दशा में प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा एवं फर्म द्वारा प्रस्तुत नमूनों के काटेशन जारी होने की दिनांक से एक माह पश्चात नमूने लौटा दिये जाएगें।
6. प्रत्येक बोलीदाता केवल एक कोटेशन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञ है।
7. बोलीदाता एक से अधिक नमूने प्रेषित करने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु बोलीदाताओं द्वारा एक कैटेगरी के विभिन्न नमूनों को चिन्हित कर दरें पृथक से प्रस्तुत करनी होगी।
8. उपरोक्त सामग्री की मात्रा संभावित है जिसे आवश्यकता अनुसार बढाया/घटाया जा सकता है ।
9. उपापन संस्था न्यूनतम संवेदक (L-1) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है एवं बिना कारण बताए काटेशन को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र है।

**प्रभारी अधिकारी (स्टोर)**
**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

क्रमांकः राम/स्टे.स्टोर/प–4/2013–14/ 230-234 दिनांक :– 18/12/2025

प्रतिलिपि : निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर), राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड (नोटिसबोर्ड, कार्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, कार्यालय संभागीय आयुक्त अजमेर, कार्यालय जिलाकलक्टर, अजमेर, कार्यालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, अजमेर)

प्रभारी अधिकारी (स्टोर)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

Document certified by Ravindra
<[illegible]@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravindra Kumar
Designation : Deputy Registrar
Date :18-12-2025 10:23:21

**RajKaj Ref No.: 19434709**